

प्रेषक,

संजय कुमार सिंह, भा0प्र0से
सरकार के संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
(लेखा0 एवं ह0)
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना-01, दिनांक-

विषय:- श्रम संसाधन विभाग (नियोजन पक्ष) के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु "संयुक्त श्रम भवन" (G+1) का निर्माण" योजनान्तर्गत सुपौल में संयुक्त श्रम भवन, सुपौल का निर्माण हेतु ₹ 408.00 लाख (रूपये चार करोड़ आठ लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि संयुक्त श्रम भवन निर्माण योजना अंतर्गत सुपौल में निदेशालय नियोजन, बिहार, पटना के तहत संयुक्त श्रम भवन, सुपौल के निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग ने अपने पत्रांक-SE-AP-3-12 (5-90)-41/2016-02 (भ0) अनु0 दिनांक-02.01.2017 द्वारा ₹ 408.00 लाख (रूपये चार करोड़ आठ लाख) मात्र की लागत पर प्राक्कलन तकनीकी अनुमोदन सहित विभाग को उपलब्ध कराया है। राज्य योजना में इस कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹ 3000.00 लाख (रूपये तीस करोड़) मात्र का बजट उपबंध है। उसके अंतर्गत ₹ 408.00 लाख (रूपये चार करोड़ आठ लाख) मात्र के व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

चूंकि भवन निर्माण योजना से संबंधित राशि का उपबंध भवन निर्माण विभाग के शीर्ष में ही कर्णांकित है। अतएव निर्माण योजना का कार्यान्वयन भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा।

क्र0सं0	संस्थान का नाम	कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	संयुक्त श्रम भवन, सुपौल	6. Cost of civil works (including Column a to g)	29,539,597
		7. Internal electric installations	3,234,703
		8. Internal Water Supply & Sanitary installations	1,035,105
		9. Add for Boundary Wall & campus development	2,587,762
		10. Extra for external service connection	1,293,881
		Sum	37,691,048
		Extra for cost index 0.0765 times the sum	2,883,365
		Total	40,574,413
		Contingency 1.0% up to 100 Lac	100,000
		0.5% above 100 Lac	152,872
		Grand Total	40,827,285
			Or 408.00 Lakh (रूपये चार करोड़ आठ लाख)

2. इस योजनान्तर्गत राशि का व्यय मुख्य शीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-01-कार्यालय भवन, लघु शीर्ष-051-निर्माण, उप शीर्ष-0116-संयुक्त श्रम भवन का निर्माण, समूह शीर्ष राज्य योजना, माँग संख्या-3, विपत्र कोड-P4059010510116 के विषय शीर्ष-"53 01-मुख्य निर्माण कार्य" मद से विकलनीय होगा।
3. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे।
4. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, सुपौल से की जाएगी।
5. राशि का व्यय बजट उपबंध के अंतर्गत सीमित रखा जायेगा।
6. इस कार्य हेतु महालेखाकर से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
7. कार्य का मासिक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन सचिव, भवन निर्माण विभाग के माध्यम से महालेखाकर, बिहार एवं निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन), बिहार, पटना को ससमय समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
8. संचिका संख्या- 2/यो0-5006/2016 में दिनांक-16.01.2017 को आयोजित विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में अनुशंसा प्राप्त है।
9. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन पृ0-04/टि0 पर प्राप्त है।
10. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति पृ0-05/टि0 पर प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/-

(संजय कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

श्रम संसाधन विभाग

बिहार, पटना।

ज्ञापांक-2/यो0-5033/2016-

पटना-01, दिनांक-

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना के सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव


श्रम संसाधन विभाग

बिहार, पटना।

ज्ञापांक-2/यो0-5033/2016- 281

पटना-01, दिनांक- 17.03.17

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, सुपौल/ श्रमायुक्त, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियंता भवन प्रमण्डल, सुपौल/कोषागार पदाधिकारी, सुपौल/उप निदेशक (नि0), सहरसा/श्रम अधीक्षक, सुपौल/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/उप निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ आई0टी0 मैनेजर श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव

श्रम संसाधन विभाग

बिहार, पटना।